न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 05 / 2025

राज.सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी रसद, कार्यालय जिला रसद अधिकारी भरतपुर
......प्रार्थी

बनाम

श्री सद्दाम पुत्र मजीद कुरैशी, जाति मुसलमान निवासी बुद्ध की हाट, भरतपुर
.......अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सपठित द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थित :-
1-पैरोकार सरकार रसद
2-श्री पंकज कुमार, अभिभाषक अप्रार्थी,

निर्णय **दिनांक 09.05.2025**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट पेश किया गया है। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 22.01.2025 को प्राप्त सूचना के आधार पर जिला रसद अधिकारी भरतपुर के निर्देशन में प्रवर्तन स्टाफ बिजलीघर स्थित एम.एम. चिकिन चस्का होटल व रेस्टोरेन्ट, सुपर मार्केट बिजलीघर भरतपुर पर पहुँचे। मौके पर प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग किया जाना पाया एवं उक्त श्रेणी के घरेलू गैस सिलेण्डर व्यवसायिक रूप से प्रतिष्ठान पर प्रयुक्त किये जा रहे थे। अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से भण्डारित सिलेण्डरों बाबत् कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेन्डरों के अवैध संग्रहण, भण्डारण बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण मौके पर जप्त कुल 03 घरेलू गैस सिलेण्डरों को मय गैस राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. को नोटिस धारा 6बी ई0सी0 एक्ट रजिस्टर्ड जारी किया गया। अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा उपस्थित होकर जबाव पेश किया, जो शा. मि. किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

पैरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये जाहिर किया कि अप्रार्थी द्वारा अपने प्रतिष्ठान होटल व रेस्टोरेन्ट, पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग किया जाना पाया एवं उक्त श्रेणी के घरेलू गैस सिलेण्डर

.........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

व्यवसायिक रूप से प्रतिष्ठान पर प्रयुक्त किये जा रहे थे। अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से भण्डारित सिलेण्डरों बाबत् कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेन्डरों के अवैध संग्रहण, भण्डारण बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण मौके पर जप्त कुल 03 घरेलू गैस सिलेण्डरों को मय गैस राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई है।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने जाबव में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग नहीं किया जा रहा था। जप्त किये गये सलेण्डर प्रार्थी के जानकार के थे जो रिफिलिंग कराने के लिए प्रतिष्ठान पर रखे हुये थे। प्रवर्तन स्टाफ द्वारा विधि विरुद्ध कार्यवाही की गई है। अप्रार्थी द्वारा घरेलू सिलेण्डरों को व्यवसासिक उपयोग नहीं किया जा रहा था।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब का अध्ययन किया। होटल में मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर का होटल कार्य के लिये व्यवसायिक कार्य में लिप्त पाया गया है। जबकि घरेलू गैस सिलेण्डर घर की रसोई में होना चाहिये था। अप्रार्थी का यह कहना कि ढावे पर मौजूद घरेलू गैस सिलेण्डर पहचान वाले व्यक्तियों के हैं, इससे स्पष्ट है कि निरीक्षण दल द्वारा उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष जप्ती की समस्त कार्यवाही की गई है एवं सभी गवाहान के उक्त कार्यवाही पर किये गये हस्ताक्षर इस बात को स्पष्ट करते हैं कि निरीक्षण दल की कार्यवाही सही है। उक्त फर्द मौका जप्ती कार्यवाही पर अप्रार्थी द्वारा अपने हस्ताक्षर भी किये गये हैं। अप्रार्थी ने उक्तानुसार निरीक्षण दल द्वारा की गई कार्यवाही पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। इससे यह निर्विवाद है कि अप्रार्थी द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र में जिस प्रकार कथन किये गये हैं वे बाद की सोच के तहत हैं, जो स्वीकार योग्य नहीं हैं। अप्रार्थी, घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण करना एवं वाणिज्यक गतिविधी के लिये होटल में उपयोग करता पाया गया है। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी खारिज किया जाता है साथ ही जप्त 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किया जाना उचित पाते हैं। अस्तु प्रार्थना पत्र धारा 6 ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाने योग्य रहता है।

जिला कलक्टर
भरतपुर

..........2

प्रा0पत्र / 05 / 2025
प्रवर्तन अधिकारी रसद बनाम सद्दाम

अतः आदेश है कि :—

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाता है। मोके पर जप्त 03 घरेलू गैस सिलेण्डरों को मय गैस राजसात (Confiscate) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि जप्त 03 घरेलू गैस सिलेण्डर सम्बन्धित कम्पनी में जमा करावें तथा खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग के पत्रांक 86 (23)खा0ले0 / 6 / 89 जयपुर दिनांक 20.10.2000 के परिप्रेक्ष्य में उक्त गैस कम्पनी / आयल कम्पनी गैस सिलेन्डर से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धन राशि कम्पनी द्वारा राजकोष में जमा कराई जावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भरतपुर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर